प्रेस नोट
दिनांक 29.05.2025

थाना को0मनकापुर क्षेत्र अन्तर्गत बस चालक/कण्डक्टर के साथ एक राय होकर मारपीट, जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालिवाल के नेतृत्व में थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 236/2025 धारा 191(2), 126(2), 109(1), 115(2), 352, 309(1), 324(1) बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. उमाशंकर दुबे पुत्र रामबालक दुबे निवासी ग्राम बोहिया मौजा जैदवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.05.2025 को थाना को0मनकापुर के अंतर्गत बस कण्डक्टर से किराये के विवाद को लेकर विपक्षीगण द्वारा एक राय होकर ईट मारकर बस का सीसा तोड़ दिया तथा बस में घूसकर बस उसे व चालक को जान से मारने की नियत से मार-पीटा जिससे उसको गम्भीर चोटे आयी है तथा गाली गुप्ता देते हुए घण्टो आवागमन वाधित किये जिससे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे । बस परिचालक गोपी भट्ट की लिखित तहरीर पर थाना को0मनकापुर पर मु0अ0स0 236/2025 धारा 191(2), 126(2), 109(1), 115(2), 352, 309(1), 324(1) बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट बनाम उमाशंकर दूबे आदि 03 नफर अभियुक्त व 10-12 लोग नाम पता अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त उमाशंकर दुबे पुत्र रामबालक दुबे निवासी ग्राम बोहिया मौजा जैदवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. उमाशंकर दुबे पुत्र रामबालक दुबे निवासी ग्राम बोहिया मौजा जैदवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 236/2025 धारा 191(2), 126(2), 109(1), 115(2), 352, 309(1), 324(1) बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट थाना को0मनकापुर, जनपद- गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. हे0मो0 अनिरूद्ध सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.05.2025

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उम्मेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-158/2025 धारा 103(2) बीएनएस से सम्बन्धित हत्याभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र जगत पाल सिंह निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा पट्टी बलराज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को नगवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.05.2025 की रात्रि लगभग 10ः00 बजे, थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम तुलसीपुर माझा निवासी अंशुमान पुत्र रवि प्रकाश सिंह (उम्र 17 वर्ष) को पुरानी रंजिश के चलते उसी गांव के गोलू उर्फ भोलू पुत्र रंजीत सिंह, जतिन सिंह पुत्र राजवंत सिंह, विशेष सिंह पुत्र अखिलेश सिंह, राजवंत सिंह पुत्र शिव हरक सिंह, अखिलेश सिंह पुत्र जगतपाल सिंह द्वारा ग्राम महरमपुर के पास घेरकर गोली मार दी गयी थी। गंभीर रूप से घायल अंशुमान को परिजनों द्वारा सी0एच0सी0 नवाबगंज ले जाया गया, जहाँ से उसे ईलाज हेतु मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर (अयोध्या) रेफर किया गया जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। सूचना पर उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा साक्ष्य संकलन हेतु स्वाट टीम, सर्विलांस, डॉग स्क्वायड एवं फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया। मृतक का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गयी। मृतक के पिता की तहरीर पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 158/25, धारा 103(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा पूर्व में 03 बालअपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया था। दिनांक 28.05.2025 को अभियुक्त रजवन्त सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 29.01.2025 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहे आरोपी अभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र जगत पाल सिंह निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा पट्टी बलराज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को नगवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अखिलेश सिंह पुत्र जगत पाल सिंह निवासी ग्राम तुलसीपुर मांझा पट्टी बलराज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-158/2025 धारा 103(2) बीएनएस, 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष अभय सिंह थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. व0उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
03. का0 कमलेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा